रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3500] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 22, 2017/पौष 1, 1939
No. 3500] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 22, 2017/PAUSA 1, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिलली, 20 दिसम्बर, 2017

का.आ. 4001(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 1533(अ), तारीख 14 सिम्बर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त राजपत्र अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में राज्यक्षेत्र स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, आंध्र प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण, आंध्र प्रदेश कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित तीन सदस्य होंगे, अर्थात् :-

1. श्री सरासा बालासुब्रह्मणियम, -- अध्यक्ष
   भारतीय प्रशासनिक सेवा (सेवानिवृत्त),
   कमरा सं. 209-212, पहला तल, एल-ब्लॉक,
   आं.प्र. सचिवालय भवन, सैफाबाद,
   हैदराबाद – 500 022, आंध्र प्रदेश ।
2. डॉ. श्रीमती पदमा श्री रवि, -- सदस्य
   प्रोफेसर,
   रसायन इंजीनियरी विभाग,
   आंध्र प्रदेश इंजीनियरी महाविद्यालय (अ),
   विशाखापट्टनम – 530 003, आंध्र प्रदेश ।
3. विशेष सचिव,/अपर सचिव, -- सदस्य-सचिव
   पर्यावरण, वन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग,
   आंध्र प्रदेश सरकार ।

2. प्राधिकरण, आंध्र प्रदेश का अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

3. प्राधिकरण, आंध्र प्रदेश ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुपालन करेगा जो उक्त अधिसूचना में प्रगणित हों ।

4. प्राधिकरण, आंध्र प्रदेश अपने विनिश्चय, पैरा 5 के अधीन गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों की सिफारिशों के पश्चात् करेगा ।

5. केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण, आंध्र प्रदेश की सहायता करने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के परामर्श से राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात् राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, आंध्र प्रदेश कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :--

1. डॉ वी.एस.आर.के. प्रसाद, - अध्यक्ष ;
प्रशांती नगर, प्लॉट नं .28,
द्वार संख्या 8-4-53, पेडवाल्टियर,
विशाखापत्तनम - 530 017, आंध्र प्रदेश

2. प्रो मुव्वा विजयालक्ष्मी, - सदस्य ;
डीन, अनुसंधान और विकास,
अध्यक्ष, वनस्पति विज्ञान और सूक्ष्म जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग स्नातकोत्तर अध्ययन बोर्ड,
आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय,
नागार्जुन नगर, गुंटूर -522 510, आंध्र प्रदेश

3. डॉ. पुलिपति किंग, - सदस्य ;
रसायन इंजीनियरी विभाग,
एयू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (ए), आंध्र विश्वविद्यालय,
विशाखापत्तनम - 530 003, आंध्र प्रदेश

4. डॉ. देवला राव गारिकापति, - सदस्य ;
प्रोफेसर और प्रिंसिपल,
मकान सं. 2-99 / 1, कोटेवरी स्टेशन, तीसरा क्रॉस,
रमावरापडु - 521 108, विजयवाड़ा ग्रामीण कृष्णा (जिला),
आंध्र प्रदेश

5. डॉ. सीपना बाला प्रसाद, - सदस्य ;
प्रोफेसर, सिविल इंजीनियरिंग विभाग,
एयू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (ए), आंध्र विश्वविद्यालय,
विशाखापत्तनम -530 003, आंध्र प्रदेश

6. प्रो. सेशाय्या कालस, - सदस्य ;
अध्यक्ष, अध्ययन बोर्ड,
रसायन विज्ञान विभाग,
श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय,

तिरुपति -517 502, आंध्र प्रदेश

7. प्रो. बागवथुला वेंकट संदीप, - सदस्य ;
प्रभारी, प्रौद्योगिकी विभाग और
समन्वयक, खाद्य, पोषण और आहारशास्त्र विभाग,
कॉलेज ऑफ साइंस एंड टैक्नोलॉजी, आंध्र विश्वविद्यालय,
विशाखापत्तनम -530003, आंध्र प्रदेश

8. प्रो. केवीएसजी मुरली कृष्ण, - सदस्य ;
यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग,
जवाहरलाल नेहरु प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
काकीनाडा -533 003, आंध्र प्रदेश

9. प्रो. बी. कोंडाला राव, - सदस्य ;
प्रोफेसर और अध्यक्ष, बीओएस (सेवानिवृत्त)
4-61-12/1 लॉसन बे कॉलोनी,
विशाखापत्तनम - 530 017, आंध्र प्रदेश

10. प्रो. पतरूणी जगन्नाध राव, - सदस्य ;
सिविल इंजीनियरिंग विभाग,
एयू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (ए),
आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापत्तनम -530 003, आंध्र प्रदेश

11. प्रो. कामेस्वर राव, - सदस्य ;
पर्यावरण विज्ञान विभाग, आंध्र विश्वविद्यालय,
विशाखापत्तनम - 530 003, आंध्र प्रदेश

12. श्री विसाप्रागड़े वेद कुमार, - सदस्य ;
फ्लैट नंबर 403, मैक एन्क्लेव,
शारदा विद्या निकेतन के सामने,
ओम नगर, लंगर हाउस, गोल्कोंडा (पीओ),
हैदराबाद -500008, तेलंगाना

13. डॉ. एम. बुल्लायहा, - सदस्य ;
भारतीय वन सेवा (सेवानिवृत्त)
फ्लैट नंबर 203 लक्ष्मी अपार्टमेंट,
स्ट्रीट नं. 7 मस्जिद रोड, विद्यानगर,
हैदराबाद -500 044, तेलंगाना

14. सदस्य सचिव, - सचिव ।
आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रधान अधिकारी,
एपीपीसीबी, विजयवाड़ा -520 010, आंध्र प्रदेश

6. राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

7. राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, आंध्र प्रदेश ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुपालन करेगी, जो उक्त अधिसूचना में प्रगणित किया जाए ।

8. राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, आंध्र प्रदेश सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति पर पहुंचने का प्रयास करेगा और यदि सर्वसम्मति पर नहीं पहुंचा जा सकता है तो बहुमत का मत अभिभावी होगा ।

9. आंध्र प्रदेश सरकार, प्राधिकरण, आंध्र प्रदेश और राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, आंध्र प्रदेश के सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए किसी अभिकरण को अधिसूचित करेगी और प्राधिकरण, आंध्र प्रदेश और राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, आंध्र प्रदेश के कानूनी कृत्यों के संबंध में सभी वित्तीय और संभार तंत्र सहायता, जिसके अंतर्गत आवास, परिवहन और ऐसी अन्य सुविधाएं हैं, उपलब्ध कराएगी ।

10. प्राधिकरण, आंध्र प्रदेश और राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष और सदस्यों को बैठक फीस, यात्रा भत्ता और मंहगाई भत्ता आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के नियमों के अनुसार संदेय किया जाएगा ।

[फा. सं. जे-11013/36/2007-आई.ए.।।(।)]

ज्ञानेश भारती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th December, 2017

S.O. 4001(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said Notification), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority, Andhra Pradesh (hereinafter referred to as the Authority, Andhra Pradesh) comprising of the following Members, namely: -

1. Sri Sarasa Balasubramanyam, -Chairman;
Indian Administrative Service, (Retired),

Room No.209-212, 1st Floor, L-Block,
A.P. Secretariat Building, Saifabad,
Hyderabad-500 022, Andhra Pradesh

2. Dr. Smt. Padma Sree Ravi, -Member;
Professor,
Department of Chemical Engineering,
Andhra University College of Engineering (A),
Visakhapatnam – 530 003, Andhra Pradesh

3. Special Secretary/Additional Secretary, -Member Secretary.
Environment, Forests, Science and Technology Department,
Government of Andhra Pradesh

2. The Chairman and Members of the Authority, Andhra Pradesh shall hold office for a term of three years from the date of publication of this order in the Official Gazette.

3. The Authority, Andhra Pradesh shall exercise such powers and follow such procedures as enumerated in the said Notification.

4. The Authority, Andhra Pradesh shall take its decision after the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee (SEAC) constituted under paragraph 5.

5. To assist the Authority, Andhra Pradesh, the Central Government in consultation with the State Government of Andhra Pradesh, hereby constitutes the State Expert Appraisal Committee (SEAC) (hereinafter referred to as SEAC, Andhra Pradesh) comprising of the following Members, namely:-

1. Dr. V.S.R.K Prasad, -Chairman;
Prasanthi Nagar, Plot No.28,
Door No.8-4-53, Pedawaltair,
Visakhapatnam - 530 017, Andhra Pradesh

2. Prof. Muvva Vijayalakshmi, -Member;
Dean, Research and Development,
Chairperson, Post Graduate Board of Studies in Botany and Microbiology,
Department of Botany and Microbiology,
Acharya Nagarjuna University,
Nagarjuna Nagar, Guntur-522 510, Andhra Pradesh

3. Dr. Pulipati King, -Member;
Department of Chemical Engineering,
A.U. College of Engineering (A), Andhra University, Visakhapatnam–530 003, Andhra Pradesh

4. Dr. Devala Rao Garikapati, -Member;
Prof. and Principal,
H.No.2-99/1, Kottevari Station, 3rd Cross, Ramavarappadu - 521 108, Vijayawada Rural Krishna (Dist), Andhra Pradesh

5. Dr. Seepana Bala Prasad, -Member;
Professor, Department of Civil Engineering,
A.U. College of Engineering (A), Andhra University, Visakhapatnam–530 003, Andhra Pradesh

6. Prof. Seshaiah Kalluru, -Member;
Chairman Board of Studies,
Department of Chemistry,
Sri Venkateswara University,
Tirupati - 517 502, Andhra Pradesh

7. Prof. Baghavathula Venkata Sandeep, -Member;
Head Department of Technology & Co-ordinator, Department of Food, Nutrition and Dietetics,
College of Science and Technology, Andhra University,
Visakhapatnam- 530003, Andhra Pradesh

8. Prof. KVSG Murali Krishna, -Member;
University College of Engineering,
Jawaharlal Nehru Technological University,
Kakinada – 533 003, Andhra Pradesh

9. Prof. B. Kondala Rao, -Member;
Professor and Chairman, BOS (Retired),
4-61-12/1Lawson's Bay Colony,
Visakhapatnam - 530 017, Andhra Pradesh

10. Prof. Patruni Jagannadha Rao -Member;
Department of Civil Engineering,
A.U. College of Engineering (A), Andhra University, Visakhapatnam – 530 003, Andhra Pradesh

11. Prof. Kameswara Rao, -Member;
Department of Environmental Science, Andhra University,
Visakhapatnam – 530 003, Andhra Pradesh

12. Shri Vissapragada Veda Kumar, -Member;
Flat No. 403, MAC Enclave,
Opposite Sarada Vidya Niketan,
OM Nagar, Langar House, Golkonda (PO),
Hyderabad-500008, Telangana

13. Dr. M. Bullaiah, -Member;
Indian Forest Service (Retired)
Flat No.203 Laxmi Apartment,
Street No.7 Maszid Road, Vidyanagar,
Hyderabad -500 044, Telangana

14. Member Secretary, -Secretary.
Andhra Pradesh Pollution Control Board, Head Officer, APPCB,
Vijayawada-520 010, Andhra Pradesh

6. The Chairman and Members of SEAC, Andhra Pradesh shall hold office for a term of three years from the date of publication of this order in the Official Gazette.

7. The SEAC, Andhra Pradesh shall exercise such powers and follow such procedures as enumerated in the said Notification.

8. The SEAC, Andhra Pradesh shall function on the principle of collective responsibility and its Chairman shall endeavor to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

9. The Government of Andhra Pradesh shall notify an agency to act as Secretariat for the Authority, Andhra Pradesh and SEAC, Andhra Pradesh, and the Secretariat shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all the statutory functions of the Authority, Andhra Pradesh and SEAC, Andhra Pradesh.

10. The sitting fee, travelling allowances and dearness allowances to the Chairman and Members of the Authority, Andhra Pradesh and SEAC, Andhra Pradesh shall be paid as per the rules of the State Government of Andhra Pradesh.

[F. No. J-11013/36/2007-IA-II (I)]

GYANESH BHARTI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.